बड़े निवेशकों को अब तय समय में मिलेगी अनुमति, सभी विभाग एक साथ जुड़ेंगे

एकल खिड़की व्यवस्था के तहत बनेगा नया कानून

सुविधा 1

- यूपी सरकार निवेश बढ़ाने के लिए ला रही सिंगल विंडो सिस्टम एक्ट
- निवेशकों की अलग-अलग विभागों में काम के लिए दौड़धूप कम होगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार उद्यमियों की परियोजनाओं की सहूलियत के लिए सिंगल विंडो सिस्टम संबंधी नया कानून लाने जा रही है। इसमें बड़े निवेश के लिए एक स्तर पर ही अनुमति देकर परियोजना को हरी झंडी मिल जाएगी। निवेश की श्रेणी के आधार पर विभिन्न स्तरों पर अन्य निवेशकों को निश्चित समय में अपेक्षित अनुमति मिलेगी।

इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल में अब सारे विभाग एक साथ जुड़ेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम अधिनियम विधानमंडल से जल्द पास कराया जाएगा। अभी तक इन्वेस्ट यूपी के निवेश मित्र पोर्टल पर जब कोई निवेशक विभिन्न प्रकार की अनुमति, एनओसी आदि के लिए आवेदन करता है तो इसे संबंधित विभाग को भेजा जाता है। इससे विभाग अपनी ओर से आवदेनों की जांच परख करते हैं। इसके बाद अनुमति को निवेश मित्र पोर्टल पर साझा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। यही नहीं खुद भी निवेशकों को संबंधित विभागों में दौड़धूप करनी पड़ती है। अब निवेश मित्र में सिस्टम इंटीग्रेटर को जोड़ा जाएगा। छह महीने में नया साफ्टवेयर तैयार हो जाएगा जो सारे विभागों को इससे जोड़ेगा। हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी की कार्य प्रक्रिया में बदलाव कर नया रूप देने को कहा था। असल में इन्वेस्ट यूपी में निवेश परियोजना में रिश्वत मांगे जाने संबंधी प्रकरण के बाद सरकार अब इस तरह के कदम उठाने जा रही है।

ताकि निवेशकों को इस तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े और उनके निवेश प्रस्ताव मेरिट के आधार पर स्वतः मंजूर हो जाएं।

> उद्यमियों की निवेश परियोजनाओं को कम से कम समय में व पूरी पारदर्शिता के साथ मंजूरी दिलाने में तीन स्तर पर काम हो रहा है। यही नहीं छोटे छोटे मामलों में कई कानूनों में सजा का प्रावधान है, उसका शमन किया जाना जरूरी है।
>
> -**आलोक कुमार,** प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास व एमएसएमई

इन्वेस्ट यूपी में शामिल होंगे 14 मंत्री

इन्वेस्ट यूपी में बदलाव कर इसमें प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के 14 मंत्री शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अध्यक्ष व औद्योगिक विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसमे आयोजन समिति, संचालन समिति के बाद इन्वेस्ट यूपी सीईओ होंगे। इसमें निवेश प्रकोष्ठ, नीति प्रकोष्ठ के अलावा आईटी, उद्यमी मित्र, अवस्थापना, मानव संसाधन, वित्त, विधिक, समन्वय व वाह्य प्रकोष्ठ बनेंगे।

1914

रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेंगे फार्मा पार्क में भूखंड

फार्मा पार्क के भूखंडों का आवंटन आज से

लखनऊ। ललितपुर में बनने वाले बल्क ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल फार्मा पार्क के लिए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन का काम सोमवार से शुरू होगा। इसमें निवेशकों के लिए औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर रु 1914 प्रति वर्ग मीटर होगी। कोई भी इकाई आवंटन के बाद एक मुश्त भुगतान करने पर दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट पाएगी। यूपीसीडा ने ललितपुर में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत बल्क ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल फार्मा के आवंटन के लिए औद्योगिक भूखंड योजना का प्रारंभ किया गया है।

सुरक्षा के साथ सुविधाएं

इस पार्क में कॉमन लॉजिस्टिक्स एंड कामर्शियल क्षेत्र बनेगा। यहां जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रणाली विकसित की गई है। जलभराव की समस्या को कम करती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र की स्थापना की गई है।